राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 177/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–तृतीय
वृत–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर .....**अपीलार्थी**

बनाम्

मैं. कीवी फार्मास्यूटिकल्स, हीरापुरा, जयपुर .....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. वैद
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

अनुपस्थित
अभिभाषक। .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

निर्णय दिनांक : 14.12.2015

निर्णय

यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. 80/आरएसटी/2000–2001/जी/2005–06 में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.04.2007 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 85 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

1. दिनांक 21.12.2000 को प्रार्थी फर्म का सर्वेक्षण किया गया। वक्त सर्वेक्षण व्यवसायी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये माल का व्यवसाई की खरीद बिलों के हिसाब से सत्यापन किया गया। खरीद बिलों का उपलब्ध माल का मिलान करने पर, खाली बोतलें एवं कच्चा माल रूपये 2,06,989/–का, व्यवसाई फर्म लेखा पुस्तकों से सत्यापन नहीं करवा सके। उक्त माल के खरीद के बिल भी व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः बिना बिल का एवं बिना जमा खर्च का अघोषित माल पाये जाने पर उक्त अघोषित माल खाली बोतलें एवं कच्चा माल की कीमत्न रूपये 2,06,989/– पर सशक्त अधिकारी द्वारा रा.वि.क.अ. की धारा 77(8) के तहत् चार प्रतिशत की दर होने के कारण कर की पांच गुणा शास्ति रूपये 41,398/– आरोपित की गई।
2. अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का सार भाग निम्न प्रकार से है:–

"उभय पक्षों की बहस सुनी गयी व रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वक्त सर्वेक्षण उपस्थित श्री विनय हेड़ा द्वारा सर्वेक्षण अधिकारी को यह बतला दिया था कि फर्म के मालिक उनके

लगातार.....2

पिताजी है, वे बीमार चल रहे है तथा व्यवसाय से संबंधित समस्त जानकारी उन्हीं को है व लेखा पुस्तकें भी उन्हीं के द्वारा संधारित की जाती है। दिये गये नोटिस के जवाब में श्री विनय हेड़ा ने लिखित में यह भी बयान दिया था कि पिताजी की बीमारी की वजह से मैं इस वक्त खरीद के बिल प्रस्तुत नहीं कर सकता व उक्त बिल मेरे पिताजी ही प्रस्तुत कर सकते है। किन्तु सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा प्रार्थी के उक्त बयान के बावजूद, प्रार्थी को अन्य मौके दिये बिना मौके पर ही शास्ति का आरोपण कर दिया गया। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में असंबंधित व्यक्ति की उपस्थिति में किये गये सर्वेक्षण व उक्त सर्वेक्षण के आधार पर व्यवसायी को समुचित अवसर प्रदान किये बिना मौके पर वसूल की गई शास्ति को अविधिक माना गया है। किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट को देखने से यह पता चलता है कि सर्वेक्षण के दौरान नियम 50 की भी पालना नहीं की गई है। नियम 50(1बी) के अन्तर्गत दो गवाहों को बुलाया जाना एवं भौतिक सत्यापन पर उनके हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है। किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में न तो गवाहों की उपस्थिति में उक्त सर्वेक्षण किया गया न ही स्टॉक सूची बनावाई गई व न तैयार की गई सूची पर दो गवाहों के हस्ताक्षर कराये गये। सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा भौतिक सत्यापन की सूंची पर अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। पाये गये माल की मात्रा भी नहीं लिखी गई है व केवल अनुमानित कीमत ही लिखी गई है। माननीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों में भी नियम 50 की पालना नहीं किये जाने के आधार पर किये गये सर्वेक्षण को अविधिक माना गया है। इस प्रकार उक्त समस्त आधारों पर किये गये सर्वेक्षण की समस्त कार्यवाही अविधिक होने के कारण उक्त सर्वेक्षण के आधार पर आरोपित रूपये 41,398/—की शास्ति अपास्त की जाती है।

परिणामतः अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।"

3. अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी। अप्रार्थी पक्ष के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण अपीलार्थी पक्ष के अधिवक्ता श्री एन.के. वैद की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति रूपये 41,398/— को अपास्त करने के आदेश को विधि विरूद्ध बताया एवं अपीलधीन आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

4. हमने बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। रेकॉर्ड से प्रकट होता है कि अप्रार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने के दौरान राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के नियमों के नियम 50 एवं 50 (1बी) के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी।

लगातार.....3

5. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की एकलपीठ द्वारा एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन सं. 214/2011 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स बद्रीलाल केदारलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2015 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया है:–

RST Act, 1994, Sec. 77(8)-RST Rules, 1995, Rule 50-Absence of two independent witnesses- Non compliance of Rule 50-Rule 50 requires search to be made and goods have to be weighed and recorded in presence of two independent witness. On non-compliance any adverse finding on search looses its significance and penalty cannot be imposed. (Para 10)

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में राजस्व की अपील एतद्वारा अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

14/12/15

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य